

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री राकेश ओस्तवाल निवासी गिलूण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005

पत्रावली संख्या 01/2025

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक 20.01.2025</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा से क्रमांक/सू0अ0205/2025/दिनांक 17.01.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने बाबत निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आदिनांक तक इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं प्रार्थी द्वारा चाही गयी सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज होने योग्य है</p> <p>लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम ऑनलाईन अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचना के संबंध में अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा में प्रस्तुत नहीं करने एवं चाही गई वांछित सूचना का संबंध भी उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा से नहीं होने से प्रस्तुत प्रथम ऑनलाईन अपील को इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है तथा अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना के संबंध में संबंधित कार्यालय में नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर वांछित सूचना प्राप्त करे।</p> <p>निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा को भिजवायी जावे।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	



लोक सूचना अपीलार्थी अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद